**न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, नवादा।**

**अग्रिम जमानत आवेदन सं0–633/2026**

(अकबरपुर थाना काण्ड सं0 – 70/2026)

अन्तर्गत धारा–126(2), 49, 352, 351, 85, 3(5) बी.एन.एस.

विरदा देवी एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार

| दिनांक | आदेश | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 29.04.2026 | प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदक अभियुक्तगण **विरदा देवी उम्र 60 वर्ष एवं फुलमती उम्र 22 वर्ष** की ओर से अकबरपुर सं0–70/2026 अन्तर्गत धारा–126(2), 49, 352, 351, 85, 3(5) बी.एन.एस. में दाखिल किया गया है जिसमें उन्हें गिरफ्तार होने की आशंका है। आवेदन की प्रति अभियोजन को दी गयी है। अभियोजन द्वारा काण्ड दैनिकी जमा की गई।<br>अभियोजन का केस संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.0.2026 समय करीब 06 बजे शाम में सूचिका बेवी देवी को जान मारने के नियत से उसके सौतन सास एवं उसके पति सभी मिलकर एक भीतर में बन्द करके उसकी सास विरजा देवी एक हाथ पकड़ी साथ में उसके पति भरत प्रसाद, सास एवं सौतिन गाली देते हुए कही कि उसे जान से मार दो, खेल्ला ही खत्म हो जाएगा। सौतिन फुलमती बोली कि नाक झाड़ दो ताकि नाक की बत्ती गिर जाए और मार जाये। सास विरजा देवी बोली कि उसका आंख फोड़ दो ताकि उसे कुछ दिखाई न दे और भटक–भटक के मर जाए। किसी तरह घुटने पर सूचिका 122 पर डायल की तब पुलिस आयी तब पुलिस ने सारी बातें पुछी और बोला कि आप पहले इलाज कराओ। वह स्वास्थ्य केन्द्र, अकबरपुर में इलाज करवायी तब वह थाना गयी तो थाना में दरोगा जी डाटकर भगा दिया।<br>अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रामकृष्णा चौधरी एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्रीमती तबस्सुम मेहर को सुना।<br>आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकगण परिवादिनी के सास एवं सौतन है। आवेदकगण को पुलिस द्वारा तंग किया जा रहा है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप असत्य एवं बनावटी है। आवेदकगण धारा–482(2) बी.एन.एस.एस. में दिये गये सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है। आवेदकगण विद्वान न्यायालय के आदेशानुसार बंधपत्र भरने को तैयार है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।<br>विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।<br>सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से यह विदित होता है कि यह वाद धारा–126(2), 49, 352, 351, 85, 3(5) बी.एन.एस. के अंतर्गत दर्ज किया गया है। काण्ड दैनिकी के कंडिका 06, 07 में साक्षियों द्वारा घटना को सत्य बताया गया है एवं कंडिका 31 से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आवेदकगण के विरूद्ध पहले से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदकगण सूचिका के सास एवं सौतन है। | |

| | | |
|---|---|---|
| लगातार.....<br>29.04.2026 | आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप सामान्य व सर्वव्यापी है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अंतिल बनाम् सी.बी.आई एवं अरनेश कुमार बनाम् बिहार सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आवेदकगण **विरदा देवी उम्र 60 वर्ष एवं फुलमती उम्र 22 वर्ष** को इस आदेश के तिथि से 30 दिन के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म–समर्पण करने पर या गिरफ्तार होने पर उसके द्वारा 10,000/–(दस हजार) रूपये की समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ धारा–482(2) बी.एन.एस. के प्रावधान के शर्तो का पालन करते हुए वचनपत्र के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार बंधपत्र प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।<br><br>(लेखापित)<br><br>(रश्मि)<br>जिला एवं अ0 सत्र न्या0–पंचम<br>नवादा। | |